# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/60304(2)/2016–17/71 दिनांक :– 21-07-2017

समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।

विषय–सत्र 2017–18 हेतु शालादर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन (Cross-verification) के सम्बन्ध में।

प्रसंग–शिविरा/माध्य/ शाला दर्पण/प्रअनिरीक्षण/2016–17 दिनांक 29.11.2016 व शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/60303/2016–17/76 दिनांक–27/03/2017 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से संबधित अद्यतन डाटा विद्यालय द्वारा अपलोड किया जा रहा है। शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे डाटा का भौतिक सत्यापन विद्यालय में मौजूद रिकोर्ड से कराने हेतु दिसम्बर, 2016 से प्रति माह अन्तर विद्यालय सत्यापन किया जा रहा है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.11.2016 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त प्रासंगिक पत्र के कम में पुनः लेख है कि सत्र 2017–18 हेतु अन्तर विद्यालय सत्यापन निम्न समय सारणी के अनुसार प्रति दो माह में किया जाना है–

| क्र.स. | सत्यापन | माह | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम सत्यापन 2017–18 | अगस्त, 2017 | अन्तर विद्यालय सत्यापन हेतु समय सारणी प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.11.2016 के अनुसार रहेगी व विभिन्न प्रपत्र समय–समय पर जारी प्रासंगिक संलग्न आदेशो के अनुसार प्रेषित किये जाने है। |
| 2. | द्वितीय सत्यापन 2017–18 | अक्टूबर, 2017 | |
| 3. | तृतीय सत्यापन 2017–18 | दिसम्बर, 2017 | |
| 4. | चतुर्थ सत्यापन 2017–18 | फरवरी, 2018 | |
| 5. | पंचम सत्यापन 2017–18 | अप्रेल–मई, 2018 | |

सत्र 2017–18 के लिए माह अगस्त, 2017 से प्रारम्भ सत्यापन हेतु निम्न की पालना सुनिश्चित करें।

**1. राज्य स्तरः**

- शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर शालादर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन की प्रभावी मोनिंटरिंग हेतु उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुऐ प्रत्येक विद्यालय के शालादर्पण डाटा का सत्यापन सुनिश्चित करावें।
- माध्यमिक अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर अन्तर विद्यालय सत्यापन पश्चात् शालादर्पण अनुभाग से प्राप्त विद्यालयों में पदो के आवंटन/प्रत्याहरण सम्बन्धी व संकाय सम्बन्धी प्रकरणों का समाधान यथासमय करना सुनिश्चित करेंगे।
- शालादर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर अन्तर विद्यालय सत्यापन पश्चात्, शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त विद्यालयों की शालादर्पण पोर्टल सम्बन्धी राज्य स्तर से सही होने वाली समस्याओं का समाधान यथासमय करना सुनिश्चित करेंगे।

**2.संभाग स्तरः** उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग स्तर पर प्रभावी मोनिंटरिंग सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त सूचना समेकित कर तय समय सारणी के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेगें।

**3.जिला स्तरः** अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक), अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (संस्थापन) व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा की सहायता से जिले की शालादर्पण फिडींग की प्रभावी


www.rajteachers.com

मोनिटरिंग के लिए उत्तरदायी है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) ब्लॉक प्रभारी प्रधानाचार्य से प्राप्त सूचना समेकित कर तय समय सारणी के अनुसार उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेगें। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति के कारण ब्लॉक प्रभारी प्रधानाचार्य/ सत्यापनकर्ता प्रभारी प्रधानाचार्य के परिवर्तन की स्थिति में तत्काल पूर्ण नवीन सूची शालादर्पण प्रकोष्ठ, निदेशालय पत्र में दी गई मेल पर प्रेषित करेंगे।

**अगस्त, 2017 से प्रारम्भ अन्तर विद्यालय सत्यापन में सत्यापनकर्ता प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा अवलोकन दिनांक को प्रत्येक कक्षा के छात्र उपस्थिती रजिस्टर में हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करावें।**

**4. ब्लॉक स्तर:** ब्लॉक प्रभारी प्रधानाचार्य, सत्यापनकर्ता प्रभारी प्रधानाचार्य से प्रपत्र प्राप्त कर सूचना को समेकित कर तय समय सारणी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेगें।

**5. विद्यालय स्तर:** सत्यापनकर्ता प्रभारी प्रधानाचार्य विद्यालय की शालादर्पण फिडींग की सघन जांच कर विद्यालय रिकोर्ड से सत्यापन करेगें। सत्यापनकर्ता प्रधानाचार्य निम्न प्रपत्रो में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ब्लॉक प्रभारी के साथ–साथ तत्काल शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर को सूचित करेंगे।

- अपूर्ण प्रपत्र 3–A अथवा किसी कार्मिक की गलत विषय/पद पर नाम ।
- विद्यालय में संचालित संकाय व शालादर्पण पर स्वीकृत संकाय में अन्तर।
- विद्यालय में संचालित विषय व स्वीकृत विषय में अन्तर।

सत्यापनकर्ता अधिकारी प्रभारी प्रधानाचार्य अवलोकन दिनांक को प्रत्येक कक्षा के छात्र उपस्थिती रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे। यदि किसी विद्यालय का निर्धारित तिथि तक सत्यापन ना हो तो तत्काल शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर को सूचित करें।

समस्त उपनिदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अन्तर विद्यालय शालादर्पण सत्यापन का प्रभावी प्रबोधन करते हुऐ उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नःप्रासंगिक पत्र व प्रपत्र।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि. परिषद, जयपुर।
3. प्रमुख प्रणाली नियंत्रक, एन.आई.सी. शिक्षा संकुल जयपुर ।
4. प्रभारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर
5. सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली ।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर


www.rajteachers.com

# अन्तर विद्यालय शाला दर्पण सत्यापन अवलोकन प्रपत्र(अगस्त–2017 से प्रभावी)

विद्यालय शाला दर्पण डाटा सत्यापन विवरण

विद्यालय का नाम.................................................संस्था प्रधान का नाम मय मो न...........................................

अवलोकनकर्त्ता का नाम मय पदस्थापन स्थान व मोबाईल नंबर–.......................................................... अवलोकन दिनांक..........

.............................................................................................................................................

| | |
|---|---|
| 1.विद्यालय की श्रेणी सही दर्ज है। (1–10,1–12,6–10,9–12) | |
| 2.पंचायत का नाम/विधान सभा /लोकसभा क्षेत्र का नाम सही दर्ज है। | |
| 3.संस्था प्रधान का विवरण (नाम/दूरभाष) नाम व नम्बर सही दर्ज है या नहीं (प्रपत्र 1) सही दर्ज है। | |
| 4. विद्यालय बेसिक प्रोफाईल अपडेट कर दी गई है। | |
| 5.माध्यमिक शिक्षा 3ए में दर्ज कार्मिकों की संख्या सही दर्ज है। | |
| 6. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की सम्पूर्ण पूर्ति कर दी गई है, कोई भी सूचना अधूरी तथा गलत नहीं है। | |
| 7.विद्यालय का नामांकन विद्यालय रिकार्ड के अनुसार सही दर्ज है। (कक्षावार/वर्गवार/संकायवार) | |
| 8.वैकल्पिक विषय/संकाय सही दर्ज है यदि नहीं तो सुधार करने के लिए कार्यवाही ................................................................................................ | |
| 9.तृतीय भाषा का विषय सही दर्ज है यदि नहीं तो सुधार करने के लिए कार्यवाही ................................................................................................ | |
| 10.विस्तृत विवरण प्र.9 सभी विद्यार्थियों का भर दिया गया है | |
| 11.कार्मिक वि.वि. प्र.10 सभी कार्मिकों का भर दिया गया है | |
| 12.सभी कार्मिकों की फोटो अपलोड कर दी गई | |
| 13.शाला प्रधान द्वारा शाला दर्पण नियमित रूप से लॉगिन की जाती है | |
| 14.विद्युत कनेक्शन स्थिति सही दर्ज है। | |
| 15.अक्षय पेटिका लगाकर शालादर्पण पर अपडेट कर दिया गया है। | |
| 16.आईएफएमएस व शालादर्पण में पदों का मिलान कर लिया गया है। | |
| **17.SDMC** का मॉडयूल पूरी तरह सही–सही भर दिया गया है एवं खातों का ऑनलाईन वेरिफिकेशन कर दिया गया है। | |
| **18.** शालादर्पण में कार्यग्रहण /कार्यमुक्ति की शेष रही हो तो उसकी स्थिाति | |
| 19. विद्यालय की समस्त कक्षाओं के परीक्षा परिणाम मॉडयूल की पूर्ति कर दी गई है। | |
| 20.साईकिल वितरण की सूचना दर्ज कर दी गई है। | |
| 21.ऑगनबाडी केन्द्र मॉड्यूल में पूर्ति कर दी गई है। | |
| 22. **CLICK** योजना मॉड्यूल व 80 जी मॉड्यूल में सूचना की सही स्थिति दर्ज कर दी गई है। | |

नोटः–1. शाला दर्पण तथा विद्यालय रिकार्ड में भिन्नता पाये जाने पर विद्यालय स्तर पर हो सकने वाली कमियों को सुधार करवाकर ही अवलोकन प्रपत्र की पूर्ति करे।

2. कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 प्रिंट लेकर कार्मिकों की सभी प्रविष्टियों की जांच कार्मिकों के सेवा विवरण से मिलान कर सत्यापन करे।

## अवलोकनकर्त्ता द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार मैं..........................................ने शाला दर्पण की प्रविष्टियों की जांच कर ली है तथा विद्यालय रिकार्ड से मिलान कर लिया है। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 की सभी प्रविष्टियों की जांच कर ली है तथा उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

हस्ताक्षर मय सील

www.rajteachers.com

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कमाक–शिविरा / माध्य / शाला दर्पण / प्रअ निरीक्षण / 2016–17 दिनांक: 29-11-2016

(1) समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान।
(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान।

**विषय :– शाला दर्पण की प्रभावी मोनिटरिंग एवं डाटा सत्यापन हेतु निर्देश।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण में विद्यालय की समस्त सूचनाओं की फिडिंग तथा उनके सत्यापन हेतु विभिन्न अधिकारियों के द्वारा मोनिटरिंग की जा रही है। इस हेतु प्रत्येक संभाग, जिले तथा ब्लॉक में निम्न अधिकारियों के द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

1. **संभाग स्तरः–** उपनिदेशक महोदय अपने संभाग के सभी जिलों की शाला दर्पण फिडिंग का प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगें तथा समय–समय पर मांगे जाने पर अपने मण्डल के जिलों की सूचना समेकित कर उपलब्ध करवायेगें। विद्यालय निरीक्षण के समय शाला दर्पण फिडिंग की विशेष चर्चा कर विद्यालय के प्रपत्र 1 से 10 तक फिडिंग का सत्यापन करेंगे। उपनिदेशक महोदय अपने जिलों के अधीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के समस्त कार्मिकों के वेतन आहरण बिलों के साथ यह प्रमाण पत्र लगा हुआ हो कि शाला दर्पण 3–A में दर्ज कार्मिकों का ही वेतन आहरण विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। मण्डल के अधीन जिलों द्वारा कार्य में कोताही या लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे।

उपनिदेशक स्तर पर शाला दर्पण की लॉगिन आई.डी उपलब्ध करवाई गई है, जिसको प्रतिदिन लॉगिन कर संबंधित जिलों की शाला दर्पण डाटा का अद्यतन रखने का दायित्व दिया गया है परन्तु पिछले काफी समय से देखा गया है कि कई उपनिदेशकों द्वारा लम्बे समय तक लॉगिन की कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि खेद का विषय होने के साथ– साथ अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति घोर उदासीनता का द्योतक है।

अतः सभी उपनिदेशक इस कार्य को गंभीरता से लेते हुवे व्यक्तिशः प्रतिदिन शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर प्रभावी प्रबेक्षन का कार्य करेंगे।

2. **जिला स्तर :–** जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के निर्देशन में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक शाला दर्पण की फिडिंग तथा मोनिटरिंग के लिए प्रभारी अधिकारी होगें। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशासन) , अतिरिक्त राज्य परियोजना समन्वयक (RMSA) व पी.ओ.(RMSA) के द्वारा उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग किया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी व अतिरिक्त राज्य परियोजना समन्वयक (RMSA) विद्यालय निरीक्षण के समय आवश्यक रूप से विद्यालय के शाला दर्पण में प्रपत्र 1 से 10 तक की फिडिंग की जाँच विद्यालय में संधारित रिकॉर्ड से करेंगे।

3. **ब्लॉक स्तर :–** प्रासंगिक पत्र के द्वारा चाहे गये प्रत्येक ब्लॉक से दो–दो प्रधानाचार्यों के नाम शाला दर्पण मोनिटरिंग हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हो चुके है। ब्लॉक स्तर की मोनिटरिंग के लिए आप द्वारा चयनित प्रधानाचार्य ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन मे शाला दर्पण की फिडिंग तथा सत्यापन का निरीक्षण करेंगे। ब्लॉक स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निम्नांकित निर्देशों की पालना अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक के द्वारा सुनिश्चित की जावे:–

www.rajteachers.com

- विद्यालय के नामांकन प्रपत्र 1 से 10 तक सभी शाला दर्पण फिडिंग का विद्यालय स्तर पर सत्यापन करने हेतु अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर के चयनित प्रधानाचार्यों के सहयोग से अन्तर विद्यालय सत्यापन (Cross Verification) हेतु विस्तृत योजना तैयार करें, जिसके अन्तर्गत दो विद्यालयों के प्रधानाचार्य एक–दूसरे के विद्यालय में की गई शाला दर्पण फिडिंग का सत्यापन विद्यालय में संधारित रिकॉर्ड से करेंगे। सत्यापन के दौरान किसी प्रपत्र में विद्यालय स्तर पर अपूर्ण प्रविष्टियों को पूर्ण करवाकर ही निरीक्षण कर्त्ता अधिकारी शाला दर्पण सत्यापन प्रपत्र सत्यापित
- करेगे। विद्यालय स्तर पर नहीं की जा सकने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर /बीकानेर को प्रस्ताव भिजवाए ।
- अन्तर विद्यालय निरीक्षण हेतु **निकटवर्ती** संस्था प्रधानों का चयन किया जाये। अन्तर विद्यालय सत्यापन (Cross Verification) हेतु चयनित संस्था प्रधानों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में संधारित करेंगे तथा आगामी निर्देशानुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- अति.जि.शि.अ. शैक्षिक, अन्तर विद्यालय निरीक्षण प्रगति रिपोर्ट मासिक रूप से संबधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि ब्लॉक का आकार बडा है तो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक दो संस्था प्रधानों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार (अधिकतम चार) संस्था प्रधान/व्याख्याता का सहयोग ले सकेंगे।
- विद्यालय स्तर मोनिटरिंग का विस्तृत कार्यक्रम तथा विद्यालय शाला दर्पण सत्यापन प्रपत्र संलग्न है।

उपरोक्त की पालना सुनिश्चित करें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/2016–17 दिनांक :– 29/11/16

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर ।
5. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
6. सिस्टम ऍनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

उपनिदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

29.11.2016

# अन्तर विद्यालय शाला दर्पण सत्यापन पिरामीड

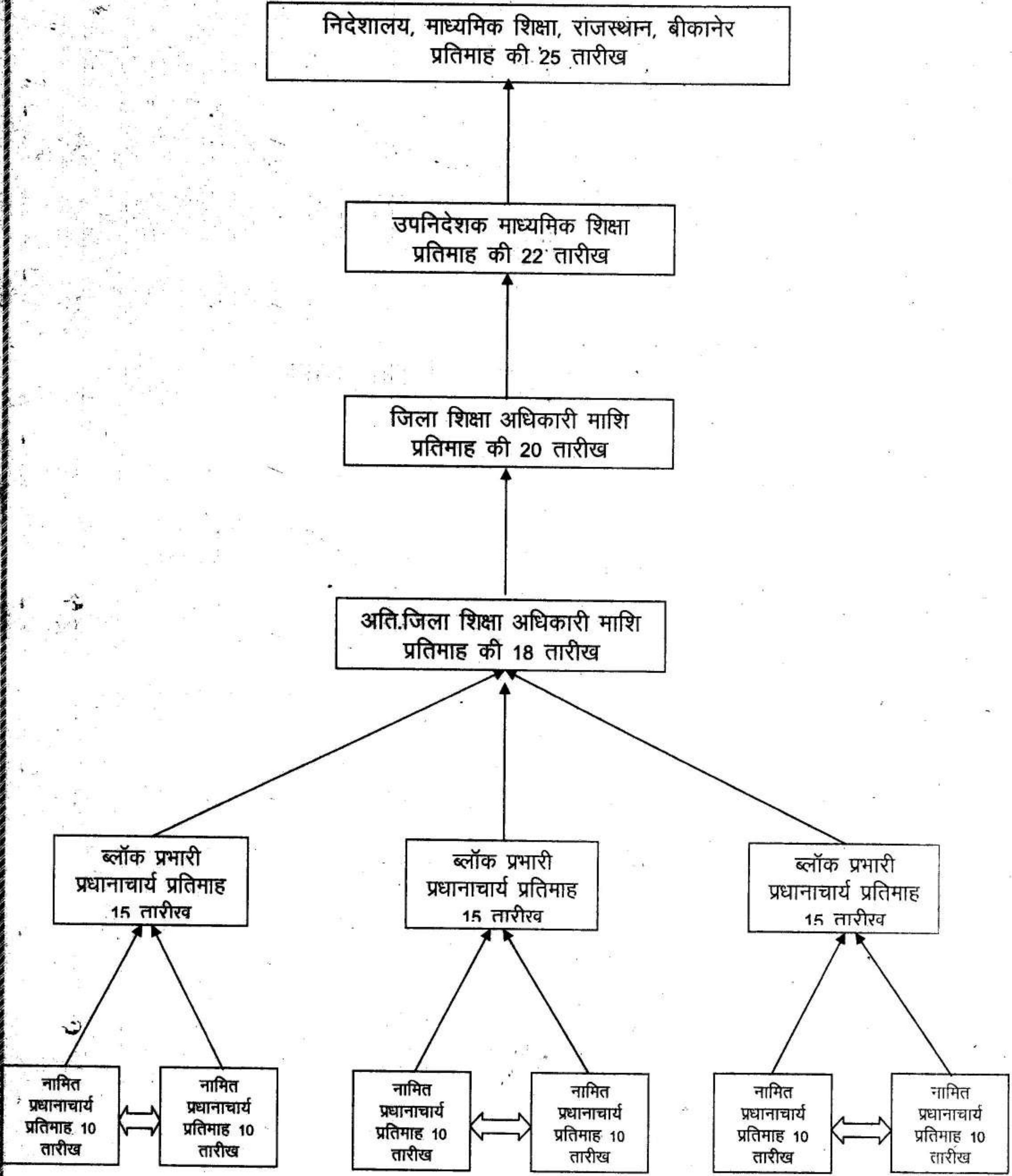


www.rajteachers.com

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/60303/2016–17/76 दिनांक :– 27.3.2017

समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा — अति– आवश्यक
एवं समस्त संस्था प्रधान

विषय :– मासिक शाला दर्पण अन्तर विद्यालय डाटा सत्यापन (**CROSS VERIFICATION**) के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक दिनांक 29.11.2016 ,शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण/ 60303/2016–17/37 दिनांक 21.2.2017 एवं पत्रांक शिविरा–मा/शालादर्पण/60303/2016–17 दिनांक 14.3.17

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में लेख है कि ऑनलाईन पोर्टल शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचनाओं का विद्यालय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय कार्यालय तक उपयोग किया जाता हैं। विधानसभा तथा संसद के प्रत्युत्तर भी शाला दर्पण पर के आधार पर तैयार किये जाते है। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में आदेश जारी किये जा चुके है कि शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचनाओं का ही अधिकतम उपयोग किया जाये तथा विद्यालयों से सीधे सूचनाऐं न मांगी जाये।

इसी क्रम में देखा गया कि शाला दर्पण पर उपलब्ध कुछ सूचनाएं वास्तविक सूचनाओं से भिन्न है तथा अद्यतन नहीं है, जिसको उच्चाधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। शाला दर्पण में समस्त सूचनाएं विद्यालय स्तर से अपलोड की जाती है जिसका प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी तथा उपनिदेशक स्तर से भी किया जाना अपेक्षित है।

शाला दर्पण पर उपलब्ध इन सूचनाओं के सत्यापन तथा अद्यतन करने हेतु प्रति माह प्रत्येक विद्यालय में अन्तर विद्यालय डाटा सत्यापन (**CROSS VERIFICATION**) किया जाता है। इन सूचनाओं में भिन्नता न रहे अतः अप्रैल माह में किये जाने वाले अन्तर विद्यालय डाटा सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करावें:–

1. समस्त जिला शाला दर्पण प्रभारी (अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक) अपने जिले के ब्लॉक शाला दर्पण प्रभारियों के सहयोग से जिले के समस्त विद्यालयों में सत्यापनकर्त्ता अधिकारियों को **निकटतम विद्यालय** में सत्यापन कार्य हेतु आदेश जारी कर 30 मार्च 2017 से पूर्व संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हुए इस कार्यालय की मेल आई डी (ad.shaladarpan.dse@rajasthan.gov.in) पर इस पत्र के साथ **संलग्न प्रपत्रानुसार** आवश्यक रूप से (हार्ड व सॉफ्ट प्रति Excel Format में ) प्रेषित करेगे, जिससे रिपोर्ट में अन्तर पाये जाने पर सत्यापनकर्त्ता अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।



www.rajteachers.com

2. सत्यापनकर्त्ता अधिकारी निर्धारित समयावधि में विद्यालय के रिकार्ड से शाला दर्पण पर दर्ज सूचनाओं का गम्भीरता से मिलान कर सत्यापित करेगे तथा विद्यालय स्तर पर पूर्ण की जा सकने वाली सूचनाओं के अधूरा होने पर संस्था प्रधान से उन्हें पूर्ण करवाकर ही सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करेगें । बार–बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी किसी संस्था प्रधान द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना ब्लॉक शाला दर्पण प्रभारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करेगे, जिससे उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।
3. सत्यापनकर्त्ता अधिकारी द्वारा किसी विद्यालय की सूचनाओं को सत्यापित करने के उपरान्त भी ऑनलाईन रिपोर्ट वास्तविक से भिन्न पायी जाती है तो **संस्था प्रधान के साथ–साथ सत्यापनकर्त्ता अधिकारी** भी इस हेतु उत्तरदायी होंगे।
4. उपनिदेशक स्तर पर शाला दर्पण प्रभारी अन्तर विद्यालय डाटा सत्यापन का प्रभावी प्रबोधन करते हुए पूर्व में जारी समय सारणी के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगे। **समय पर सूचना प्रेषित न करने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम** इस कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करे।

संलग्नः– 1. अन्तर विद्यालय शाला दर्पण सत्यापन अवलोकन प्रपत्र
2. सत्यापनकर्त्ता अधिकारियों की सूची का निर्धारित प्रपत्र
3. इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व पत्रांक दिनांक 29.11.2016

(बी.एल. स्वर्णकार)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1- निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2- अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि. परिषद्, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर कार्यालय हाजा ।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Email : ad.shaladarpan.dse@rajasthan.gov.in ☎0151–2201861
D:\SHALADARPANABHAY\ABHAY\ABHAYVIDHALYA.docx

www.rajteachers.com

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमाकः– शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/60304(1)/2016–17/124 दिनांक :– 7/3/17

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा

विषय :– फरवरी माह की प्रेषित शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट का अग्रेषण पत्र तत्काल प्रेषित करने बाबत।

प्रसंगः– शिविरा/माध्य/ शाला दर्पण/प्रअनिरीक्षण/2016–17 दिनांक 29.11.2016, व शिविरा–मा/माध्य/शाला दर्पण/60304(1)/2016–17/122 दिनांक :–02/03/2017 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्र्तगत लेख है कि फरवरी माह की शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के साथ भिजवाने के निर्देश प्रासंगिक पत्र में दिए गए थे परन्तु आपके मण्डल की माह फरवरी की शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित फरवरी माह की रिपोर्ट का अग्रेषण पत्र निम्न प्रपत्र के अनुसार तत्काल प्रेषित करें। प्रति माह प्रेषित की जाने वाली शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट अग्रेषण पत्र के साथ भेजना सुनिश्चित करावें।

**प्रपत्र**

| क्र.स. | मण्डल | जिला | जिले की रिपोर्ट प्राप्ति दिनांक | शाला दर्पण फिडिंग में कमी/गलती की सख्यां | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

यदि किसी जिले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो विशेष विवरण में मण्डल शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त किये गये प्रयास के बारे में स्पष्ट विवरण देवें।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि. परिषद, जयपुर।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली ।

7.3.17
सहायक निदेशक(शालादर्पण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

Email : ad.shaladarpan.dse@rajasthan.gov.in ☎0151–2201861

www.rajteachers.com

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:— शिविरा—मा/माध्य/शाला दर्पण/60304(1)/2016—17/121 दिनांक :— 27/02/2017

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

**अति—आवश्यक**

विषय :— शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन (CROSS VERIFICATION) माह फरवरी — 2017 की रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

प्रसंग:— शिविरा/माध्य/ शाला दर्पण/प्रअनिरीक्षण/2016—17 दिनांक 29.11.2016,

उपर्युक्त विषयान्र्तगत व प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माह फरवरी —2017 का शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शाला दर्पण सत्यापन पिरामिड के अनुसार प्रत्येक माह 25 तारीख तक सत्यापन रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन आज दिनांक तक किसी उपनिदेशक कार्यालय से अन्तर विद्यालय सत्यापन सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः आप अपने मंडल की फरवरी —2017 की शाला दर्पण अन्तर विद्यालय सत्यापन रिपोर्ट तत्काल पूर्व में प्रेषित निम्न प्रपत्र EXCEL SHEET में भिजवाना सुनिश्चित करें ।

**प्रपत्र**

| क्र.सं. | जिला | ब्लाक | विद्यालय का नाम | ऑफिस आई डी | यूडाइस कोड | शाला दर्पण में फिडिंग का कमी/गलती विवरण | कमी/गलती मेल करने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

सहायक निदेशक(शाला दर्पण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

**प्रतिलिपि**:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि. परिषद्, जयपुर।
3. प्रभारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर
4. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली ।

सहायक निदेशक(शालादर्पण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Email : ad.shaladarpan.dse@rajasthan.gov.in ☎ 0151- 2544043

www.rajteachers.com